हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

खीयाराम वगैरा बनाम सरकार
प्र. सं. 344A/2021

पत्रावली राजस्व अभियान प्रशासन गांवो के सग अभियान 2021केम्प भाण्डु कल्ला मे पेश हुई। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र मे यह जाहिर किया कि हमारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 32 व 58 ग्राम रोहिला भाण्डू मे आई हुई है। यह भूमि पूर्व मे हरचन्द पुत्र मौतीराम के नाम की थी। हरचन्द्र ने अपने जीवनकाल मे चारो पुत्रो के मध्य बटवारा कर द्रिया जो बटवाडा आदेश दिनांक 09.04.1975 द्वारा नामान्तरकरण सख्या 34 ग्राम रोहिला भाण्डू दर्ज किया गया एवं भाण्डू कल्ला की भूमि गोकलराम व जयरूपराम के बंट मे आई। प्ररन्तु वर्तमान मे खरताराम व खीयाराम का नाम हटा कर हरचन्द्र के सभी वारिसान का नाम दर्ज कर लिया जिसको दुरस्त कर सही किया जावे। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के सम्बन्ध मे तसहीलदार लूणी से जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार लूणी के जॉच रिपोर्ट अनुसार पुर्व मे उक्त भूमि हरचन्द्र पुत्र मोती के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी। हरचन्द्र ने नामान्तरकरण सख्या 34 ग्राम रोहिला भाण्डू के तहत बटवाडा अनुसार खीयाराम पुत्र हरचन्द्र के खसरा नम्बर 32 रकबा 18.15 बीधा व खरताराम पुत्र हरचन्द्र के खसरा नम्बर 58 रकबा 28 बीधा का बटवाडा स्वीकृत किया गया। परन्तु उस समय की नवीन जमाबन्दी बनाते समय यह अमलदरामद होने से रह गया एवं नवीन जमाबन्दी पून सम्वत 2031 से 2034 मे हरचन्द्र पुत्र मोतीराम ही दर्ज रह गया जिसको दुरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 32 मे खीयाराम पु. हरचन्द्र व खसरा नम्बर 58 मे खरताराम पुत्र हरचन्द्र का नाम दर्ज किया जाना था। चूंकी खीयाराम व खरताराम दोनो ही वर्तमान मे फौत हो चुके है। तद्रअनुसार दोनो के वारिसान का नाम दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यो पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र केसाथ समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। गवाह हिराराम व पपूसिह के बयान लिये गये। नामान्तरकरण सख्या 34 ग्राम रोहिला भाण्डू बटवाडे अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 18.15 बीधा भूमि खीयाराम पुत्र हरचन्द्र के हिस्से मे एव खसरा नम्बर 58 रकबा 28 बीधा भूमि खरताराम पुत्र हरचन्द्र के हिस्से मे आई उक्त नामान्तरकरण सख्या 34 स्वीकृत होने के बाद उसकी पालना मे जमाबन्दी के राजस्व रेकर्ड ने खसरा नम्बर 32 मे खीयाराम पुत्र हरचन्द्र का नाम एव खसरा नम्बर 58 मे खरताराम पुत्र हरचन्द्र का नाम त्रुटिवंश दर्ज होसे से रह गया.। हरचन्द्र पुत्र मोतीराम के फौत होने पर उनके विरातस का नाम से 64 ग्राम रोहिला भाण्डू मे स्वीकृत किया गया। उसके हरचन्द्र पुत्र मौती के सभी वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि भाण्डू कला की कृषि भूमि गोकलराम व जयरूपराम के नाम की रही जो दोनो को हरचन्द्र पुत्र मोती द्वारा बंटवाडे मे दी गई थी। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं गवाहो के बयानो के आधार पर दोनो फौत हो चुके है। खसरा नम्बर 32 रकबा 18.15 बीधा मे खीयाराम के वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। एव खसरा नम्बर 58 मे	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकारी/प्रदेन सहायक कलक्टर लूणी ... अभियान 2021

खरताराम के वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार लूणी कि जॉच रिपोर्ट व अनुशाषा व नामान्तरकरण सख्या 34 के अनुसार प्रार्थीगणं का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रोहिला भाण्डू के नामान्तरकरण सख्या 34 की पालना मे खसरा नम्बर 32 मे खीयाराम का नाम व खसरा सख्या 58 मे खरताराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे त्रुटिवंश दर्ज होने से रह गया। जिसको दुरस्त कर सही किया जावे। चूंकि खीयाराम पुत्र हरचन्द्र व खरताराम पुत्र हरचन्द्र दोनो फौत हो चुकें है। उक्त उनके विधिक वारिसान की जॉच कर खसरा नम्बर 32 मे खीयाराम के सभी विधिक वारिसान का नाम व खसरा नम्बर 58 मे खरताराम के सभी विधिक वारिसान का नाम दर्ज कर पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभिान 2021
कैम्प कोर्ट